उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-**2**

संख्या-1664/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी0सी0-271-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(334)-2024

लखनऊः दिनांकः 08-01-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 128क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे सारणी के स्तंभ(3) में विनिर्दिष्ट संबंधित तारीख को ऐसी तारीख अधिसूचित करते हैं, जिस तक उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर का भुगतान, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ(2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	**वह तारीख, जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर का भुगतान, यथास्थिति, उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है।**
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश जारी किया गया है।	31.03.2025
2	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर के निर्धारण के लिए आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना अपेक्षित होता है, यह मानते हुए कि सूचना उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी।	उक्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन कर का पुनर्निर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से छह माह पूरे होने पर समाप्त होने वाली तारीख ।

2. यह अधिसूचना 1 नवबर2024 , से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj
(एम0 देवराज)
Date: 08-01-2025 18:47:38
प्रमुख सचिव